न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 546 / 2015
दायर दिनांक : 28 / 10 / 2015
निर्णय दिनांक : 06 / 05 / 2024

उनवान

1. याकूब मोहम्मद उर्फ मोहम्मद याकूब मुसलमान शेख पिता जान मोहम्मद शेख निवासी फलासिया हाल उदयपुर

वादी

बनाम

1. सुभाष पिता भंवरलाल बोहरा निवासी कपासन
2. फारूक मोहम्मद पिता रियाज मोहम्मद मुसलमान निवासी फलासिया हाल 82 महावतवाडी, उदयपुर
3. ताहिर पिता रियाज मोहम्मद मुसलमान निवासी फलासिया हाल 82 महावतवाडी, उदयपुर
4. समजीदा पुत्री रियाज मोहम्मद मुसलवार निवासी 80 फीट रोड़, मस्जिद के पास महावतवाडी उदयपुर
5. सायबा पुत्री रियाज मोहम्मद पति ताकीर मुसलमान निवासी महावतवाडी, उदयपुर
6. खेरून बेगम बेवा रियाज मोहम्मद मुसलमान निवासी 82 महावतवाडी, उदयपुर
7. पणी पुत्री जीतू कुम्हार निवासी फलासिया हाल काछीखेड़ा तहसील राशमी
8. मु. गटटू बेवा जीतू कुम्हार निवासी फलासिया तह. भूपालसागर
9. नन्दा पिता लक्ष्मण कुम्हार निवासी फलासिया तह. भूपालसागर
10. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री सुरेश बाफना

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इंद्राज दूरूस्ती अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि दिनांक 07.04.65 को मौजा फलासिया में चा.नं. 143 दो सौ रूपये में क्रय की और आराजियात भी क्रय की किन्तु आ.नं. तो मेरे खाते में दर्ज हो गई किन्तु चाह नं. रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई आ.सं. 148, 149, 161 तथा चाह नं. 143 खरीद की। चाह नं. के वर्तमान नंबर 508 है, जो रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर ही रह गये जो गलत है क्योंकि मैने आ.सं. के साथ चाह नं भी खरीद किया इसी से सिचाई होती है।

यह है कि चाह नं. प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है जो गलत है क्योंकि चाह नं. मैने आराजी के साथ क्रय किया किन्तु रवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर ही दर्ज रह गई है जो गलत है चाह नंबर भी मेरे नाम पर दर्ज होना चाहिए। यह कि मेरा नाम याकूब मोहम्मद पिता जान मोहम्मद मुसलमान है जो जन्मपत्री में दर्ज है और उसके बाद के सभी दस्तावेज में मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, जिससे मेरा नाम रवेन्यू रिकार्ड में भी मोहम्मद याकूब किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादीगण को चाह नं. 143 जिसके वर्तमान नं 508 को मेरे नाम पर दर्ज कराने के लिए दिनांक 10.10.2015 को कहा किन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गए जिससे प्रतिवादी स. 1 के पिता से खरीद की और अन्य सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है। अत निवेदन है कि मौजा फलासिया का चा.नं. 143 जिसके वर्तमान नं. 508 है वो वादी के नाम पर दर्ज किये जाने की डिग्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे। वादी का नाम रवेन्यू रिकार्ड में याकूब मोहम्मद के बजाय मोहम्मद याकूब किये जाने की डिग्री प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील प्रतिवादी स. 10 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश किया जिसमे बताया कि प्रकरण में वाद पत्र के पैरा 1 में वादी का कथन है कि दिनांक 07.04.1965 को मेरे द्वारा ग्राम फलासिया की आ.स.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

148, 149, 161 तथा चाह नं. 143 कय किया था जिसमें कृषि आराजियात का नामान्तरण तो खुल गया परन्तु कुएं का आ.सं. 143 का नामान्तरकरण नहीं खुला। पत्रावली पर कहीं वह नामान्तरकरण जिसमें भूमि नाम पर हुई दस्तावेज संलग्न नहीं होने से यह साबित नहीं होता है कि आ.सं 148, 149, 161 तो नामान्तरकरण में दर्ज है परन्तु आ.सं. 143 नहीं है। अतः पैरा 1 अस्वीकार है। वाद पत्र पैरा 2 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करावे। वाद पत्र पैरा 3 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करावे। वाद पत्र पैरा 4 में राज्यहित प्रभावित नहीं हो रहा है, वादी स्वयं सिद्ध करावे। वाद पत्र पैरा 05 से 06 माननीय न्यायालय से संबंधित होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं हो रहा है अतः चाही गई दाद वादी स्वयं सिद्ध करावें। वाद पत्र में वादी की प्रार्थना उपलब्ध रिकार्ड से साबित नहीं होती है, वादी अपनी दाद स्वयं सिद्ध करावें।

प्रकरण में दिनांक 15.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1, 8 9 उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7 द्वारा बाद सूचना जवाब पेश नहीं किया जाने से जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार का जवाब स्वीकारोक्ति का होने से तनकीयात कायम की जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। साक्ष्य वादी में वादी ने साक्ष्य दिनांक 15.11.2022 को साक्ष्य मय शपथ पेश की। पत्रावली में विक्रय पत्र दिनांक 12.04.65 की फोटो प्रति प्रदर्श 1 ए तथा जबाबंदी 2069–72 प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत 2016–19 प्रदर्श एवं मिलान खसरा प्रदर्श 4 होकर शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम फलासिया की आ.सं. 143 हाल 508 रकबा 0.02 किस्म आ.चा. वादी के नाम पंजीयन दस्तावेज दिनांक 07.04.65 अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में याकूब मोहम्मद के बजाए मोहम्मद याकूब का अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर